**संख्या-04/2025/।/840216/2025/002-71-2099-40-2023**

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0,
लखनऊ।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2** **लखनऊः दिनांक-02-01-2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के राजस्व मद के अंतर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से वेतन मद में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एमई/बजट /2024-25/355, दिनांक 05.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ हेतु अनुदान संख्या-31 के राजस्व मद के अंतर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से वेतन मद में रू0 6000.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-35/2024/बी-2-768/दस-2024-244/2024(।।), दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 द्वारा अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि को निर्गत किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में मानक मद 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में अनुपूरक मांग के माध्यम से वेतन मद में प्राविधानित समस्त धनराशि रू0 6000.00 लाख (रुपये साठ करोड़ मात्र ) अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

**<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>**

1. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/ निदेशक, संस्थान का होगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 60,00,00,000 (रुपये साठ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050309 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ मानक मद 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

**संख्या-04/2025/I/840216/2025/002-71-2099-40-2023, तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।